

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़ मिशन (NMOOP) के अर्न्तगत वर्ष 2016-17 के दौरान सूरजमुखी एवं सरसों को बढ़ावा देने के लिये जैविक खाद (राईजोबियम व फासफैट सोलुबलाईजिंग बैक्टीरिया) व पौधा संरक्षण रसायन वितरण हेतु निम्न अनुसार अनुदान दिया जाना है:-

क्र० सं०	मद का नाम	लक्ष्य (एकड़ में)	अनुदान की राशि (प्रति एकड़)	स्कीम का क्षेत्र
1	जैविक खाद (राईजोबियम व फासफैट सोलुबलाईजिंग बैक्टीरिया)	25000	50% अधिकतम 120/-रु०	हरियाणा के सभी जिले
2	पौधा संरक्षण रसायन	30000	50% अधिकतम 200/-रु०	हरियाणा के सभी जिले

अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की Website www.agriharyana.in पर 31.12.2016 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए विभाग के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उप मण्डल कृषि अधिकारी या जिले के उप कृषि निदेशक से सम्पर्क कर सकते हैं।

विशेष दिशा निर्देश:-

1. किसान के द्वारा बोई गई फसल (सूरजमुखी व सरसों) से अधिक एकड़ के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा।
2. किसान किसी भी सरकारी व गैर सरकारी स्रोत से कृषि सामग्री खरीदकर बिल कृषि विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. सब्सिडी सत्यापन के उपरान्त सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
4. अन्य तकनीकी जानकारी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उप मण्डल कृषि अधिकारी या जिले के उप कृषि निदेशक से भी सम्पर्क कर सकते हैं।
5. योजना 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर लागू की जायेगी।

जैविक खाद (राईजोबियम व फासफैट सोलुबलाईजिंग बैक्टीरिया) तथा पौधा संरक्षण
रसायन के लिए जिलेवार भौतिक लक्ष्य (NMOOP)

क्र०सं०	जिला	जैविक खाद (राईजोबियम व फासफैट सोलुबलाईजिंग बैक्टीरिया) के लक्ष्य (एकड़)	पौधा संरक्षण रसायन के लक्ष्य (एकड़)
1.	पंचकुला	1000	750
2.	अम्बाला	1250	1250
3.	यमुनानगर	1250	1250
4.	कुरुक्षेत्र	1250	1250
5.	करनाल	1250	1250
6.	पानीपत	1250	750
7.	सोनीपत	1250	1250
8.	कैथल	1000	1250
9.	जींद	1250	1250
10.	हिसार	1250	2500
11.	सिरसा	1250	2500
12.	फतेहाबाद	1250	2500
13.	भिवानी	1250	2500
14.	महेन्द्रगढ़	1250	1250
15.	रिवाड़ी	1250	2500
16.	गुरुग्राम	1000	500
17.	मेवात	1250	1250
18.	फरीदाबाद	1000	500
19.	रोहतक	1000	1250
20.	झज्जर	1250	1250
21.	पलवल	1250	1250
	कुल	25000	30000